(c) whether Government have assessed the progress mad by TSP in the tribal areas of Gujarat;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the other measures Government propose to initiate to improve the lot of tribals in Gujarat?

THE MINISTRY OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) and (b) In the State of Gujarat, the TSP is being implemented since Fifth Five Year Plan through 9 Integrated Tribal Development Projects covering 8 districts and 33 Talukas.

(c) and (d) At the instance of M/o Welfare (now M/o SJ&E) the Programme Evaluation Organisation (PEO) of the Planning Commission undertook the evaluation study of the ITDPs in July, 1997, to assess the effectiveness and performance of Planning and Monitoring arrangements and of the impact of the programmes on the well being of Scheduled Tribes. The study was carried out in seven States which constitute the Central Tribal Belt (CTB), including Gujarat.

(e) A new scheme for accelerated socio-economic development of Primitive Tribal Group has been started during this year.

कल्याण योजनाओं की समीक्षा

1635.**श्री मनोहर कान्त ध्यानी** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उनकी अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी राज्यों के दौरे में क्षेत्र संबंधी कल्याण योजनाओं के बारे में"विशेष समीक्षा सप्ताह"मनाया,

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्तरांचल क्षेत्र के लिए कुछ नयी योजनाओं की घोषणा की हैं;और

(घ)विगत एक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की कल्याण योजनाओं की समीक्षा का ब्यौरा क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में"सामाजिक –आर्थिक विकास परिप्रेक्ष्य" विषय पर दिनांक 23.11.1998 से 24.11.1998 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

इस कार्यशाला में विचार विमर्श इस मंत्रालय की विभिन्न कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा इस प्रक्रिया में तेजी लाने वाले अपेक्षित उपायों की प्रगति पर केन्द्रित थे।

(ग) जी,नहीं।

(घ) उत्तरांचल क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं /कार्यक्रमों की कोई विशेष समीक्षा नहीं की गई हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानंदडों तथा प्रक्रियाओं में अपेक्षित लचीलापन,खुलापन तथा सरलीकरण लाने के उद्देश्य से अपनी सभी कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों की सामान्य समीक्षा शुरू कर दी हैं।

"बाल यातना गृह"शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1636.**श्रीमती सरोज दुबे**: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 सितम्बर,1998 के "जनसत्ता" में"बाल यातना गृह" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां,तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;और

(ग) देश में भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी,हां।

(ख) और (ग) यह सच है कि राज्यों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपेक्षित और अपराधी किशोरों की देखभाल,संरक्षण,उपचार,विकास तथा पुनर्वास के लिए स्थापित कुछ गृहों की दशा पूरी तरह संतोषजनक नहीं हैं। इस मंत्रालय की किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एंव नियंत्रण संबंधी योजना के अन्तर्गत इन गृहों की दशा सुधारने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। इन गृहों की दशा को

मॉनीटर करने के लिए वाह्य एजेंसियों के सहयोग से समय-समय पर अध्ययन भी किये जाते हैं और सम्बन्धित राज्य सरकार से आवश्यक उपचारी कार्यवाई करने का आग्रह किया जाता है । इन गृहों में तैनात कर्मचारियों के लाभार्थ प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन सम्बन्धी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ।

विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान

1637.**श्री डी.पी.यादव**: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान के रूप में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार की बहुत-सी संस्थाएं सामाजिक कार्य के नाम पर फर्जी तरीके से अनुदान प्राप्त कर लेती हैं;और

(ग) यदि हां,तो सरकार द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं के विरूद्व क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) वर्ष 1997-98 के दौरान सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे देश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को 71.88 करोड़ रू.की कुल राशि निर्मुक्त की गई ।

(ख) और (ग) सरकार के ध्यान में ऐसे उदाहरण लाए गए हैं जहां अनुदान प्राप्त कर्त्ता संस्थाओं ने संतोषजनक रूप से कार्य निष्पादित नहीं किया है अथवा इसके अभिप्रत प्रयोजन के लिए निधियों का उपयोग नहीं किया है । निधियों के ऐसे दुरूपयोग को रोकने की कार्रवाई में शामिल हैं,परीक्षित लेखे विवरण तथा संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य कागजातों की जांच,राज्य सरकार के अधिकारियों अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा संगठन के निरीक्षण तथा विशेष जांच /निरीक्षण जहां विशेष शिकायत प्राप्त हुई । यदि जहां निधियों का दुरूपयोग प्रमाणित हो जाता है तो सहायता अनुदान की आगे निर्मुक्ति रोक दी जाती तथा पहले ही दी गई अनुदान की वसूली का भी आदेश दिया जाता है ।

"Bridge Course" for untrained Educators and Rehabilitation Workers

1638. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government have taken up an ambitious programme called "Bridge Course" for untrained educators and rehabilitation workers in the field of disability;

(b) if so, the details of the scheme launched with physical and financial details and phasing of the targets State-wise;

(c) the details of action plan formulated by the Rehabilitation Council of India State-wise; and

(d) the present strength of trained/ skilled personnel working for rehabilitation of disabled in the country and their ratio to total number of disabled. State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The scheme is to give one time opportunity to all those serving people with disabilities to become eligible to register themselves with the Rehabilitation Council of India by taking up just one month duration bridge* course. The details of physical and financial targets State-wise formulated by the Rehabilitation Council of India is enclosed as statement (see below).

(d) The present strength of trained/ skilled personnel working for rehabilitation of disabled in the country is 13,365. A sample survey conducted by National Sample Survey Organisation in 1991 covering four disabilities-visual, hearing speech and locomotor estimated that there are about 16.15 million disabled persons constituting about 1.9% of the total population of the country. As regards mental retardation in a sample